Helpline **1064** **94135-02834**

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **पुलिस थाना भट्टाबस्ती, आयुक्तालय जयपुर शहर उत्तर के हैड कानिस्टेबल को 15 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **थानाधिकारी के सरकारी आवास से अवैध हथियार एवं मादक पदार्थ बरामद**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *17 मई।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की जयपुर देहात इकाई द्वारा आज सोमवार को जयपुर के पुलिस थाना भट्टाबस्ती, जयपुर शहर उत्तर में कार्यवाही करते हुये हैड कानि. अब्दुल रउफ को परिवादी से मासिक बन्दी के रूप में 15 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कार्यवाही के दौरान थानाधिकारी भट्टाबस्ती राजेन्द्र सिंह शेखावत पुलिस निरीक्षक के सरकारी आवास से अवैध हथियार एवं मादक पदार्थ बरामद किये गये है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. जयपुर देहात इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि भट्टा बस्ती क्षेत्र में निर्माण कार्यों में लगी पीक–अप के परिचालन में बाधा नहीं पहुंचाने की एवज में पुलिस थाना भट्टा बस्ती, जयपुर शहर उत्तर हैड कानिस्टेबल अब्दुल रउफ खान द्वारा थानाधिकारी, भट्टा बस्ती के नाम पर 20 हजार रूपये मासिक बन्दी के रूप में रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की जयपुर देहात इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नरोत्तम लाल वर्मा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर **उप अधीक्षक पुलिस श्री संजय कुमार एवं उनकी टीम** के द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये अब्दुल रउफ पुत्र श्री इस्माईल अली निवासी मौहल्ला सादात, मालपुरा जिला टोंक हाल निवासी मकान नं0 ए–37, अर्जुन कॉलोनी, आमेर रोड़, ब्रह्मपुरी, जयपुर हाल हैड कानिस्टेबल पुलिस थाना भट्टाबस्ती, जयपुर शहर उत्तर को परिवादी से 15 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

थानाधिकारी पुलिस थाना भट्टाबस्ती राजेन्द्र सिंह शेखावत पुलिस निरीक्षक की भूमिका पाई जाने पर थाना परिसर स्थित उनके सरकारी आवास की तलाशी ए.सी.बी. की टीम द्वारा लिये जाने पर वहां से एक देशी कट्टा 315 बोर, 9 कारतूस 315 बोर, दो कारतूस 7.62 एम.एम., 5 कटार तथा एक किलो 400 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। ए.सी.बी. कार्यवाही के दौरान थानाधिकारी राजेन्द्र सिंह शेखावत पुलिस निरीक्षक ए.सी.बी. टीम को गच्चा देकर पिछले दरवाजे से मौके से फरार हो गये हैं, जिनकी तलाश जारी है। **ए.सी.बी. टीम द्वारा अवैध हथियारों एवं मादक पदार्थ बरामद होने पर थानाधिकारी के विरूद्ध पृथक् से अभियोग दर्ज कराया गया है।**

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।